न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/477

दुर्गालाल आत्मज रामदेवा जाति मेघवाल निवासी ग्राम जलोदी हाल निवासी प्रताप कोलोनी रेलवे स्टेशन के पास तालेडा जिला बून्दी ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. जगदीश आत्मज श्री बरधा जाति जाट निवासी ग्राम जलोदी तालेडा जिला बून्दी ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी ।

——रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री लोकेश सैनी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री हेमन्त कृष्ण विजयवर्गीय, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 की ओर से

निर्णय

दिनांक: 17.05.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.10.2016 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी तहसीलदार, तालेडा ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर कथन किया कि दुर्गालाल पुत्र श्री रामदेवा जाति मेघवाल निवासी जलोदी में खाता संख्या 98 खसरा नम्बर 634 रकबा 09 बीघा 01 बिस्वा भूमि का खातेदार है। दुर्गालाल अनुसूचित जाति का सदस्य है । दुर्गालाल ने अपने खाते की भूमि जगदीश पुत्र बिरधीलाल जाति जाट को धारा 42 (6) /43 (2) के प्रावधानों के प्रतिकूल हस्तान्तरित किया है । उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज करवाये जाने के निर्देश प्रदत्त किये गये है । प्रार्थी भूमिधारी है तथा इनको धारा 42 (4) व 43 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के प्रतिकूल हस्तान्तरण करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार है ।

3. अतः उक्त भूमि से अप्रार्थी कम 2 का नाम हटाया जाकर उक्त भूमि का कब्जा तहसीलदार, तालेडा को दिलाया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 03.10.2016 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी से अप्रार्थी कम 2 दुर्गालाल का नाम खाते से हटाया जाकर खाता

सरकार दर्ज किये जाने के आदेश पारित करते हुए कब्जा राज लिये जाने के आदेश पारित किये और साथ ही तहसीलदार तालेडा को वादग्रस्त आराजी पर जरिये नीलामी जुवारा काश्त पर काश्त करने की व्यवस्था कराने के आदेश भी प्रदान किये ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.10.2016 से व्यथित होक अप्रार्थी कम 2 दुर्गालाल अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट द्वारा हस्तान्तरित नहीं की गई । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को नोटिस दिये बिना इस बिन्दु पर पक्षकारों को सुने बिना निर्णय पारित किया है । अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट कम 1 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया अपि इकरारनामा को ही आधार मान कर निर्णय पारित किया गया है जबकि यह इकरारनामा दस्तावेज नहीं है, पंजीकृत नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सही तनकीयात नहीं बनाक निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.10.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहरा और निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पर कभी भी रेस्पोडेन्ट का कब्जा नहीं रहा अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का अवसर नहीं दिया है । इकरारनामे को अ मानकर निर्णय पारित किया गया है । यह इकरारनामा वैध दस्तावेज नहीं है, तनकीयात बनाई है और उनका विवेचन भी विधि सम्मत रूप से नहीं किया गया है । कार्यवाही मियाद है जिसको स्वीकार किया गया है । अपीलान्ट के द्वारा न तो आराजी का बेचान गया है और न ही आराजी का अन्तरण किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फ जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.10.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट कम 1 के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त अ रेस्पोडेन्ट कम 1 ने क्रय की है और उस पर मकान बना लिये हैं । मौके की स्थिति की नहीं की गई है जो कि आवश्यक है । अतः मौके की जॉच के उपरान्त ही निर्णय पारित जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट कम 2 की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि आरा बेचानर धारा 42 बी के उल्लंघन में हुआ है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्म अपीलान्ट के द्वारा तहसीलदार तालेडा के निर्णय दिनांक 01.12.2014 की कोई अपील गई है उसी निर्णय की अनुपालना में यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है । अपील सारह से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.10.201 रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बह पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार, तालेडा के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्ग धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर यह कथन किया है कि वादग्र आराजी का बेचान धारा 42 बी के उल्लंघन में किया गया है । अतः आराजी को सिवायचक द किया जावे । प्रार्थना पत्र के साथ नकल जमाबन्दी संवत् 2069–72 संलग्न की है जिस अनुसार खसरा नम्बर 634 की 09 बीघा 01 बिस्वा आराजी दुर्गालाल वल्द रामदेवा कौम मेघवा के खाते में दर्ज है । पत्रावली पर रिपोर्ट पटवारी हल्का संलग्न है जिसमें यह अंकित है कि वादग्रस्त आराजी में जगदीश आत्मज बरधा जाट ने 02 पक्के मकान बना रखे हैं । तहसीलदा तालेडा के निर्णय दिनरांक 01.12.2014 की प्रति भी पत्रावली में संलग्न है जिसमें वादग्रस्त आराजी सन् 1989 में जगदीश को बेची जाकर कब्जा संभलाया जाना अंकित किया गया है ।

11. धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जवाब पेश हो जाने के बाद धारा 175 (4) के अनुसार उसका निर्णय दावे के रूप में किया जाना अनिवार्य होता है । तद्नुसार इस प्रकरण में यह अपेक्षित था पेश किये जवाब के उपरान्त तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर निर्णय पारित किया जाता परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 175 (4) की पालना में न तो तनकीयात कायम की हैं और न ही उभय पक्षीय साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित किया है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.10.2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में पेश किये गये प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के आधार पर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभय पक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 08.07.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 17.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

17/5/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा